रोहतास थाना कांड सं0–15 / 2005
सी0आई0एस0 निबंधन सं0–55 / 2005

मुन्ना यादव **बनाम्** बिहार सरकार

23.07.2026 अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से परिलक्षित होता है कि इस वाद के अभियुक्त मुन्ना यादव की उपस्थिति हेतु वाद लम्बे समय से लंबित है। अभियुक्त की अनुपस्थिति को देखते हुए, दिनांक 12.05.2006 के आदेश से बंध–पत्र खंडित करते हुए, अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेश के आलोक में अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 24.03.2023 के आदेश के आलोक में 82 दं0प्र0सं0 का अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में दिनांक 22.08.2023 को अंतर्गत धारा 82 दं0प्र0सं0 में प्रपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 04.06.2026 को धारा 83 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अधिपत्र निर्गत किया गया। धारा 83 द0प्र0सं0 का तामिला प्रतिवेदन ग्राम पंचायत बकनौरा के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अभियुक्त मुन्ना यादव की निकट भविष्य में उपस्थिति की सम्भावना नहीं है। प्रस्तुत वाद 2005 ई0 का अति पुरातन वाद है। उक्त सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त मुन्ना यादव को भगौड़ा घोषित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्त मुन्ना यादव पर स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें, कि अभिलेख को भविष्य में नष्ट न करेंगे और जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगी, अभिलेख न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(लेखापित)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–2
रोहतास, सासाराम